ग्रामीण निर्धनों के लिए रोजगार गारंटी

7087. श्री अनन्तराव देवशंकर दवे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनों के लिए रोजगार-गारंटी की व्यवस्था करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ 30 जून, 1993 तक पंजीकृत किए गए ग्रामीण निर्धनों की संख्या कितनी है; और

(घ) 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सरकार ने देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों, मरूभूमि वाले क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रों के 261 जिलों के 1778 चयनित खण्डों, जहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही है, में सुनिश्चित रोजगार योजना नामक एक नई योजना शुरू की है ।

योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण गरीबों, जो रोजगार के जरूरतमद हैं तथा जो रोजगार की तलाश में है, को गैर-कृषि मौसम के दौरान 100 दिन का शारीरिक श्रम वाला अकुशल रोजगार मुहैया कराना है । हालांकि यह योजना ग्रामीण गरीबों के लिए है, फिर भी इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु वाले लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं । योजना के अंतर्गत एक परिवार के अधिकतम दो वयस्क सदस्यों को रोजगार मुहैया कराया जाना है । सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत खर्च को केन्द्र और राज्यों द्वारा 80:20 के आधार पर वहन किया जाता है ।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत केवल श्रमप्रधान कार्य ही शुरू किए जाने हैं । जब कभी 20 व्यक्ति रोजगार चाहते हों तो जरूरतमंद लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए नए कार्य शुरू किए जा सकते हैं । कुछ विशेष मामलों में यदि सिर्फ 10 लोग भी रोजगार की मांग करते हैं तो खण्ड विकास अधिकारी नए निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं ।

(ग) सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्तूबर, 1993 को ही शुरू की गई थी । इस प्रयोजन हेतु ग्रामीण गरीबों का पंजीकरण इसके बाद आरम्भ हुआ है ।

(घ) चूंकि सुनिश्चित रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के शारीरिक रूप से सक्षम उन सभी वयस्कों, जो रोजगार के जरूरतमंद हैं और जो रोजगार की तलाश में हैं को गैर-कृषि मौसम के दौरान 100 दिन का लाभप्रद सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराना है, एक वर्ष के लिए अथवा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए रोजगार के प्रावधान हेतु कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

LIC assistance for water supply scheme in Gujarat

7088. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE; Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for water supply for Gujarat with the Assistance of LIC or any scheme of other financial institutions;

(b) if so, the details thereof and by when the scheme is likely to be introduced, district-wise;

(c) the expenditure likely to be incurred on these schemes; and

(d) by when these schemes are likely to be completed, the district-wise details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) The Central Government have not formulated any scheme for water supply for the State of Gujarat with the assistance of LIC or any other financial institutions. Such schemes are finalised directly by State Government and this does not require approval of the Ministry of Rural Development for rural water supply schemes. However, schemes for assistance of more than Rs. 10.00 crores are required to be sent to the Ministry of Urban Development for technical approval. No such proposal has been received from the State Government of Gujarat.

(b) to (d) Do not arise.

उत्तर प्रदेश में भूमिहीनों को कृषि भूमि का आबंटन

7089. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरौला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों की जिला-वार संख्या कितनी है, जिन्हें गत वर्ष के दौरान कृषि भूमि का आवंटन किया गया है ;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान भूमि धारकों के नाम पंजीकृत करके उन्हें काश्तकारी के अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कतिपय दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है, जैसे ही वह प्राप्त हो जाएगी उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Employment under J.R.Y.

7090. MISS SAROJ KHAPARDE:
SHRI AHMED MOHAMEDBHAI PATEL:
SHRI SURESH PACHOURI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the record of the number of persons who actually got employed under Jawahar Rozgar Yojana was not maintained at any level;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the women's share of mandays of employment generated remained 22 to 25 per cent upto the District level and at 15 to 18 per cent at the Gram Panchayat level; and

(d) if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) No, Sir. Though Jawahar Rozgar Yojana (JRY) is a self-largetting programme, the number of persons who are provided employment are the people below the poverty line and the record of number of such persons who got employment is available with the implementing agencies, namely, the District Rural Development Agencies (DRDAs) and the Village Panchayats.

(c) and (d) According to the reports received from the State Governments, the share of women in the total employment generated under JRY has been around 24 per cent. No separate details on the share of wome in the mandays of employ-